

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मी प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में सचिव कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिवित्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संभलित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार कले हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-3 में सिफारिश इन फार्मी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन किया-विशेष कर निम्नस्त निर्णय लिया गया :-

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठनी0आई0 द्वारा नवीं कक्षावत् अनुसूचन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठनी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुच्च अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सचिव द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठनी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुसूचन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को उत्तर प्रदेश सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सिफारिश वाली के स्तरीय पाठ्यक्रम एवं उनकी अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठनी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता	पीठनी0आई0/सचिव द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता
1	1730	सामल कानून कॉलेज ऑफ फार्मी, बदायुं, उत्तर प्रदेश।	विभिन्न इन फार्मी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एअर0एअर0आई0/पीठनी0आई0 द्वारा सिफारिश की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एअर 1882 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विभिन्नस्तरीय 1882, विभिन्न विभिन्नस्तरीय-2018 तथा अन्य विभिन्न विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क टोल करीब इतनी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 22,500.00/- (दोअरसू टें वरवीं फार्मी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 22,500.00/-) वरिअर एवं एक तथा दो वरवीं पाठ्यक्रमों (दो वरवीं फार्मी पाठ्यक्रम के अधिवित्त) हेतु रु०-22,500.00 वरिअर शुल्क ही आवेक करार/अन्य से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अधिवित्त करार/आदेशों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ का

- 1. The first step in the process of the cell cycle is the G1 phase, during which the cell grows and prepares for division.
- 2. In the S phase, DNA replication occurs, resulting in two identical copies of each chromosome.
- 3. The G2 phase is a period of further growth and preparation for the final division.
- 4. The cell cycle is regulated by a complex system of proteins and signaling pathways.
- 5. The cell cycle is essential for the growth and development of multicellular organisms.
- 6. The cell cycle is also involved in tissue repair and the replacement of damaged cells.
- 7. The cell cycle is a highly coordinated process that ensures the accurate transmission of genetic information.
- 8. The cell cycle is a fundamental biological process that is conserved across all eukaryotes.
- 9. The cell cycle is a key component of the cell's overall metabolism and energy requirements.
- 10. The cell cycle is a dynamic process that can be influenced by various environmental factors.
- 11. The cell cycle is a critical pathway for the maintenance of genomic stability.
- 12. The cell cycle is a complex and highly regulated process that is essential for life.
- 13. The cell cycle is a fundamental biological process that is essential for the survival of all organisms.
- 14. The cell cycle is a key component of the cell's overall growth and development.
- 15. The cell cycle is a highly coordinated process that ensures the accurate transmission of genetic information.

These cells are called daughter cells and they are genetically identical to the parent cell.



आपत्तित्व

राज्य प्रविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सदनम्

संख्या- प्राविच/परीषद्/सम्ब/इका/2021/0537

सदनांक- दिनांक- 08/08/2021

आपत्तित्व प्रत्येक

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली समेकीकृत/अपेक्षित/औसत इन्फिन्स, नई दिल्ली द्वारा बैठक का 2021-22 हेतु विद्यमान उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सदनम् से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संयोज हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संघर्षित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों का विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सदनम् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2730-RAKSHPAL BAHADUR COLLEGE OF PHARMACY, BADAUN ROAD, BAREILLY			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1982 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद् विनियमवली 1982, संशोधन विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुल निदेशक समिति द्वारा निर्धारित कुल तीन वर्षीय इकीव पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 30-150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय इकीव पाठ्यक्रम हेतु सत्र-45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु सत्र-22500 00/- प्रतिवर्ष कुल ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से कुल के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त द्वारा निर्मित किये जाने वाले छात्र/छात्राओं प्रभावी होंगे, और अनुसूचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। परिसर निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु परिसर का पुनर्निर्धारण किया जाना है, जो शीघ्र की नवीनरूप दो सत्र होगी।
- ✓ संस्था को 13000 प्रविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना, विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के लिए एक वाले की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित छात्र/छात्राओं के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता कुल तथा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

संघीय

एशियन एजिटिविक सिद्ध परिषद

उत्तर प्रदेश संघनाड

संख्या:- एशिया/एशियाड संघनाड/2022/7817

संघनाड दिनांक: 28-08-2022

संघीय संघ

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित वर्ष 2021-23 हेतु विदेशीय भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुसंधान प्रदान किए जाने के उपरोक्त एशियाटिक सिद्ध परिषद, 2020 संघनाड से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 20/08/2022 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघ हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अर्जित नई संघनाडों को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संघनाडों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने संबंधित प्रवेश प्रस्ताव कुट्टि अर्जित अन्य शर्तों का विचार करने हुए वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संघ को एशियाटिक सिद्ध परिषद, 20 20 संघनाड द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश प्रस्ताव एवं उसमें अर्जित प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संघ का कोड एवं नाम : 2738-RAKSHPAL SAHADUR COLLEGE OF PHARMACY			
क्र.सं०	प्रवेश प्रस्ताव का नाम	एडमिशन/सीटिंग/वीसी-आई द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुसंधान प्रवेश प्रस्ताव	परिषद द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुसंधान प्रवेश प्रस्ताव
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संघ एडमिशन/सीटिंग/वीसी-आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संघ उत्तर प्रदेश एशियाटिक सिद्ध परिषद एक्ट 1982 तथा एशियाटिक सिद्ध परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा संघ-संघ का निर्मित शासन-वर्षों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए प्रत्येक प्रवेश प्रस्तावों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए प्रवेश प्रस्ताव हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों प्रवेश प्रस्तावों (दो वर्षों के लिए प्रवेश प्रस्ताव) के अतिरिक्त, हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्रस्तावों से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में संघ-संघ का शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासन-वर्ष प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारण समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु नीचे का पुनर्निर्धारण किया जाय है, जो नीचे की सीमांतम ही लागू होगी।
- ✓ संघ में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संघ को संघ-संघ का निर्मित शासन-वर्षों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संघ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विनियमों-अतिरिक्त शासन-वर्षों-निर्देशों एवं निर्देशन, एशियाटिक सिद्ध, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा एशियाटिक सिद्ध परिषद, 2020 द्वारा बनीये गयी नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बंध्यकारी है।

- ✓ If \mathbf{u} is a vector in \mathbb{R}^3 , then $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$ (the zero vector). This is because the cross product of two parallel vectors is zero.
- ✓ If \mathbf{u} and \mathbf{v} are vectors in \mathbb{R}^3 , then $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$. This is because the cross product is anti-commutative.
- ✓ If \mathbf{u} , \mathbf{v} , and \mathbf{w} are vectors in \mathbb{R}^3 , then $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$. This is because the cross product is associative.
- ✓ If \mathbf{u} and \mathbf{v} are vectors in \mathbb{R}^3 , then $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = \mathbf{v}$. This is because $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{u} = \mathbf{v}$.
- ✓ If \mathbf{u} and \mathbf{v} are vectors in \mathbb{R}^3 , then $\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = -\mathbf{v}$. This is because $\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = -\mathbf{v}$.
- ✓ If \mathbf{u} and \mathbf{v} are vectors in \mathbb{R}^3 , then $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = \mathbf{v}$. This is because $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{u} = \mathbf{v}$.
- ✓ If \mathbf{u} and \mathbf{v} are vectors in \mathbb{R}^3 , then $\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = -\mathbf{v}$. This is because $\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = -\mathbf{v}$.
- ✓ If \mathbf{u} and \mathbf{v} are vectors in \mathbb{R}^3 , then $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = \mathbf{v}$. This is because $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{u} = \mathbf{v}$.



Blue vector is \mathbf{u}

Red vector is $-\mathbf{u}$

Right-Hand Rule for Cross Product

Step 1:

Align your right hand so that your fingers point in the direction of the first vector and your thumb points in the direction of the second vector.



Blue vector is \mathbf{u}

Red vector is $-\mathbf{u}$